

UPFR010022082026



Criminal Misc. Cases/1077/2026
Kayamganj
Sontara Vs. Jahan Singh and others

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०)/ अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-03,
फर्रुखाबाद।

प्रकीर्ण वाद संख्या-1077/2026

सोनतारा प्रति जहान सिंह आदि ।

आदेश

01-06-2026

प्रकीर्ण पत्रावली पेश हुयी।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा BNSS की धारा 528 के तहत प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र सं० 862/2025 राकेश कुमार चतुर्वेदी प्रति उ०प्र०राज्य व अन्य न्यूट्रल साइटेशन 2025 ALM-LKO 43788 के मामलें में आदेश दिनांकित 29-07-2025 में यह स्पष्ट किया गया है कि BNSS की धारा 223 के परन्तुक के अनुसार विपक्षीगण को सुनवाई का अवसर परिवादी/परिवादिनी एवं उसके साक्षियों का बयान अंकित किए जाने के पश्चात तलबी के सम्बन्ध में आदेश पारित किए जाने के पूर्व दिया जाना चाहिए।

प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षीगण को धारा 223,225BNSS के बयान अंकित होने के पश्चात तथा तलबी आदेश के पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा। प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में दर्ज हो। पत्रावली वास्ते बयान धारा 223 BNSS के तहत दिनांक 17-06-2026 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र)/
तृतीय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
फर्रुखाबाद।